

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003942013

दांडिक प्रकरण क.-161/2013

संस्थापित दिनांक-31.05.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
अभियोजन	
विरुद्ध	
01-गोपाल पुत्र भैयालाल कोरी आयु 51 वर्ष निवासी पसियापुरा, चंदेरी	
आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 05.10.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294,323, 506 भाग दो के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी बबली ने दिनांक 06.04.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.04.13 साढ़े तीन बजे वसियापुरा चंदेरी फरियादी के घर पर आरोपी ने आकर फरियादी को गालियां दी और साथ ही उसके साथ मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 126/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 294,323, 506 भाग दा के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294,323 दो बार, 506 भाग दा के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष होना बताया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 06.04.13 को 03:30 बजे पसिया पुरा चंदेरी में फरियादी को मां बहिन की गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक

01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 भागवतीबाई, अ.सा.2 अनीता बाई, अ.सा.3 डॉ. आर पी शर्मा, अ.सा. 4 बबली, अ.सा.5 नरेन्द्र सिंह, की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 भागवती बाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी ने गालिया दी थी और मना करने पर वे लोग मारने आ गये थे। अ.सा.1 के अनुसार गोपाल ने लोहे के पाइप से मारा था जिससे उसके कंधे व कमर में चोट आ गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी लड़की बबली के साथ भी मारपीट की गई थी तथा आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी गई थी। अ.सा.2 अनीताबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने गंदी गंदी गालिया दी थी तथा बबली एवं उसकी मां के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी। अ.सा.4 बबली ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने गाली गलोच की थी। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने उसके साथ एवं उसकी मां के साथ मारपीट की थी एवं उसने प्र0पी03 की रिपोर्ट लेखवद्ध कराई थी।

08— अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया है कि उसके जेठ के घर से उसके घर तक आने में उसका लडका गिर गया था और इसी बात पर से आरोपी ने गाली गलोच की थी। अ.सा.1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्टरूप से कथन किया है कि आरोपी ने लोहे के पाइप से मारा था तथा उसकी लड़की को सिर में लाठी से मारा था। अ.सा.2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में गाली गलोच एवं मारपीट के बारे में बताया है। अ.सा.4 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने उसकी मां को सरिया से मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे सबल से मारा था जिससे उसे चोट आई थी।

09— अ.सा.3 डॉ. आर पी शर्मा ने अपने कथन में बताया है कि उन्होंने दिनांक 06.04.13 को आहत भगवती का मेडिकल परीक्षण किया था जो प्र0पी01 है जिसके अनुसार उसे कोई चोट नहीं आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को उनके द्वारा आहत बबली का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी02 है

उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत के शरीर पर एक चोट आई थी। अ.सा.5 नरेन्द्रसिंह जो कि मामले का विवेचक है उसने अपने कथन में बताया है कि उसने प्रकरण में नक्सा मौका तैयार किया था तथा साक्षीगण के कथन लेख किये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है।

10— प्रकरण में अ.सा.1 अ.सा.2 एवं 04 ने अपने कथनों में स्वच्छयरूप से बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी एवं आहत के साथ गाली गलोच की थी और साथ ही मारपीट भी की थी। अ.सा.1 एवं 04 ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। अ.सा.1 एवं 04 के कथनों का अनुसर्मथन अ.सा.2 की साक्ष्य से हो रहा है। उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहत की साक्ष्य की संपुष्टि मेडिकल विशेषज्ञ अ.सा.3 की साक्ष्य से हो रही है। आहत बबली ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसके सिर पर मारपीट की गई थी तथा अ.सा.3 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहत बबली को सिर पर चोट आई थी। उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहत तथा अन्य साक्षी की साक्ष्य तटस्थ एवं अखण्डनीय रही है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा आरोपी को मामले में झूठा फसाया गया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा मामले में आरोपी को झूठा फसाया गया है।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ गाली गलोच की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई और साथ ही फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है। परिणामतः आरोपी गोपाल को भा0द0वि0 की धारा 294,323 एवं 506 भाग दो के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोष सिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी जिला—अशोकनगर

**पुनश्च:—**

13— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव जैन का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा आरोपी ने दो महिलाओं के साथ अपराध कारित किया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा महिलाओं के साथ कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी

को भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 323 दो बार के अपराध में 01-01 माह इस प्रकार कुल दो माह के साधारण कारावास एवं 200-200 रुपये इस प्रकार कुल 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 506 भाग दो के अपराध में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15- आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

17- आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18- आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)